संख्या-519/2020/938/22-2-2020-ई-17(362)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहिद पुत्र श्री इन्तजार, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25709/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-14.10.2020) दिनांक-14.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहिद पुत्र श्री इन्तजार, जौला थाना-बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। दिनांक 01.01.2005 को 03 अभियुक्तों के साथ मिलकर सत्तार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 02 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-617/2005 भा0द0सं0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 27.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.10.2020 तक 15 वर्ष 04 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के मुक्त होने पर अपराध की सम्भावना होने, बंदी की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 01.01.2005 को 03 अभियुक्तों के साथ मिलकर सत्तार को नल के पास ही पकड़ लिया और तमंचों से गोलियां चलाकर सत्तार को छलनी कर हत्या करने व 02 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरित संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के बंदी की आयु-41 वर्ष तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बंदी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बंदी के मुक्त होने पर अपराध की सम्भावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शाहिद पुत्र श्री इन्तजार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-144/2019 शाहिद बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2019 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शाहिद (बन्दी संख्या-5352/15) पुत्र श्री इन्तजार, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-519/2020/**938**(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-519/2020/938/22-2-2020-ई-17(362)/2020

दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शाहिद पुत्र श्री इन्तजार, जौला थाना-बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। दिनांक 01.01.2005 को 03 अभियुक्तों के साथ मिलकर सत्तार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 02 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-617/2005 भा0द0सं0 की धारा-302/34, 307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 27.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.10.2020 तक 15 वर्ष 04 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के मुक्त होने पर अपराध की सम्भावना होने, बंदी की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 01.01.2005 को 03 अभियुक्तों के साथ मिलकर सत्तार को नल के पास ही पकड़ लिया और तमंचों से गोलियां चलाकर सत्तार को छलनी कर हत्या करने व 02 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरित संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के बंदी की आयु-41 वर्ष तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बंदी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, बंदी के मुक्त होने पर अपराध की सम्भावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शाहिद पुत्र श्री इन्तजार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in